

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

128-

कमांक. एफ.3-31/2013/बी-3/दो,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/03/2014

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
भोपाल।

विषय:-12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 के अंतर्गत राज्य स्तरीय डायल-100 कंट्रोलरूम एवं कमाण्ड सेंटर की स्थापना।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रं0 पुमु/18/योजना/आर एण्ड डी सेल/696 दिनांक 18.07.2013

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 में सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार राज्य स्तरीय डायल-100 कंट्रोल रूम में कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की परियोजना लागत राशि रूपये 252.51 करोड़ (रूपये दौ सौ बावन करोड़ इक्यावन लाख मात्र) प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1)- वर्ष 2014-15 के बजट में इस परियोजना हेतु बजट प्रावधान किया जावे।
- (2)- डायल 100 आधारित राज्य स्तरीय कंट्रोलरूम सह कमाण्ड सेंटर तथा पूर्व में स्वीकृत सीसीटीवी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी योजना एवं यातायात प्रबन्धन योजना के अंतर्गत स्थापित संसाधनों का इन्टीग्रेशन किया जावे। भविष्य में निर्भया फण्ड के अंतर्गत लोक परिवहन वाहनों में स्थापित सीसीटीवी कैमरा फीड तथा जी पी एस लोकेशन की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे।
- (3)- परियोजना में प्रथम वर्ष 2013-14 समाप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में भी किया जाये। वाहनों को किराए पर लेने का कार्य राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापना के बाद ही हो पाएगा। अतः वर्ष 2014-15 में वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान किया जावे।
- (4)- कॉलसेन्टर की स्थापना के लिए आर.एफ.पी. तैयार करने के समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग लिया जाए।
- (5)- चयनित वेण्डर के द्वारा ही हार्डवेयर प्रदाय करने और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी का प्रावधान आर.एफ.पी. में की जावे।

129
//2//

6)- कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जावे ।
परियोजना संचालन के लिये सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था की जावे।
आवश्यकतानुसार योग्य कन्सलटैन्ट की सेवायें ली जावे।

2/ उक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 03 मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-(६००)-अन्य व्यय-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-(7346)-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप यूओ क्र० 277/252/ब-8/चार/14 दिनांक 01.03.2014 तथा मंत्रि परिषद आदेश आयटम क्र० 19 दिनांक 04.03.2014 के अनुष्करण में जारी किया गया हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

म०प्र०शासन, गृह विभाग
भोपाल, दिनांक 4/03/2014

क्रमांक.एफ.3-31/2013/बी-3/दो,

प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 2- सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग।
- 3- आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल।
- 4- संबंधित कोषालय अधिकारी।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- गार्ड फाइल।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग